प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 75/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा "भू-आधारित प्रसारकों के लिए विनियामक ढांचा' पर परामर्श पत्र जारी करता है

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज 'भू-आधारित प्रसारकों के लिए विनियामक ढांचा' पर परामर्श पत्र जारी किया है।

2. भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए समय-समय पर एमआईबी द्वारा जारी दिशानिर्देश, जिनमें टीवी प्रसारण सेवाओं के लिए नियम और शर्तें शामिल हैं, प्रसारकों के लिए वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) को अपने चैनल प्रदान करने के लिए उपग्रह माध्यम यानी उपग्रह के द्वारा टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग का उपयोग करना अनिवार्य बनाते हैं।

3. प्रौद्योगिकी की प्रगति ने प्रसारकों के लिए डीपीओ को स्थलीय रूप से, अर्थात भू-आधारित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अपने टेलीविजन चैनल प्रदान करना संभव बना दिया है। पारंपरिक टीवी चैनलों की तरह, जिन्हें उपग्रह के माध्यम से अपलिंक और डाउनलिंक किया जाता है, स्थलीय रूप से प्रसारित चैनलों को भी एक साथ कई डीपीओ नेटवर्क पर ले जाया जा सकता है और डीपीओ उन्हें वाणिज्यिक शर्तों पर उपभोक्ताओं को पुन प्रसारित कर सकते हैं। इसलिए, 'भू-आधारित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को सक्षम बनाने के लिए एक विनियामक ढांचे की आवश्यकता है।

4. भादूविप्रा ने दिनांक 19.11.2014 को एमआईबी को 'प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे' पर अपनी सिफारिशें अग्रेषित की थीं, जिनमें 'भू-आधारित प्रसारकों के लिए विनियामक ढांचा' से संबंधित कुछ सिफारिशें शामिल थीं।

5. इस संबंध में, अपने पत्र दिनांक 22.05.2024 के माध्यम से, एमआईबी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया कि प्लेटफॉर्म सेवाओं के विनियमन के संबंध में सिफारिशों की जांच की गई है और इसके लिए दिशानिर्देश दिनांक 30.11.2022 को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किए गए हैं। एमआईबी ने आगे यह भी उल्लेख किया कि मंत्रालय में भू-आधारित प्रसारकों के लिए भादूविप्रा की सिफारिशों की जांच के दौरान यह महसूस किया गया कि भादूविप्रा द्वारा जिस संदर्भ में

सिफारिशें की गई थीं वह वर्ष 2014 से बदल गया है और इस मामले पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। उपरोक्त पत्र के माध्यम से, एमआईबी ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (ए) के तहत "भू-आधारित प्रसारकों के लिए विनियामक ढांचा" पर नए सिरे से समीक्षा और सिफारिशों के लिए भादूविप्रा से अनुरोध किया है।

6. तदनुसार, 'भू-आधारित प्रसारकों के लिए नियामक ढांचा' पर हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया जा रहा है। परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर देखा जा सकता है। परामर्श पत्र पर हितधारकों से दिनांक 15.11.2024 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। प्रतिटिप्पणी, यदि कोई हो, दिनांक 29.11.2024 तक प्रस्तुत की जा सकती है। हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां और प्रतिटिप्पणियां अधिमानत: इलेक्ट्रॉनिक रूप में ई-मेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in और jtadv-bcs@trai.gov.in पर प्रस्तुत करें।

7. किसी भी तरह के स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री दीपक शर्मा, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष नंबर: +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा